Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/236
Peer Reviewed & Refereed Journal, JULY-AUG 2024, Vol- 13/84

आधुनिक भारत मे पंचायती राज मे निर्वाचित महिला प्रतिनिधि : (चुनौतिया एवं समस्याए)

आकांक्षा सोनी

रिसर्च स्कालर, डिपार्ट्मन्ट ऑफ लॉ, एल एन सी टी यूनिवर्सिटी, भोपाल (मध्य प्रदेश)

Paper Received On: 20 July 2024

Peer Reviewed On: 24 August 2024

Published On: 01 September 2024

Abstract

महिला सशक्तिकरण आधुनिक समय मे बहुचर्चित विषय के रूप मे उभरकर समाज के सामने आ रहा है| पंचायती राज के माध्यम से महिलाओ को समुचित अधिकार प्रदान किए जा रहे है किन्तु इतने प्रयासों के बाद भी पंचायती राज महिलाओ का पूर्ण रूप से सशक्तिकरण करने मे असफल रहा है| संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपवंध करने की शक्ति प्रदान की गई| वर्ष 1992 मे महिलाओ के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988-2000 की सिफारिशों के बाद, 73 वे और 74 वे संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकायों मे महिलाओ हेतु 1/3 सीटे आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया| पंचायतों मे महिलाये अपना योगदान देने मे अग्रणी भूमिका निभा रही है और महिलाये देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है लेकिन यह अलग बात है की देशभर मे महिलाओ को पंचायती राज मे उतना महत्व सामाजिक तौर पर नहीं दिया जाता है जितना की उन्हे संविधान और कानून के माध्यम से प्रदान किया गया है| इस शोध-पत्र के माध्यम से उन जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है जो आधुनिक भारत मे पंचायती राज व्यवस्था मे महिलाओ को आरक्षण व्यवस्था मिलने के बाबजुद भी महिलाओ की सशक्तता एवं सक्रियता मे कमी के लिए जिम्मेदार है?

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुछेद 40 मे पंचायती राज व्यवस्था के विषय मे बताया अगया है कि इसकी व्युतपत्ति संस्कृत भाषा के शव्द 'पंचायतन' से हुई है जिसका अर्थ है पाँच व्यक्तियों का समूह जिसमे जनता द्वारा चुने हुए पाँच योग्य व्यक्ति एक पंचायत के माध्यम से गाव मे स्थानीय स्वशासन का संचालन करते है जो केवल लोक कल्याण के पक्षधर होते है| पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है| जिस तरह से नगरपालिकाओ तथा उपनगरपालिकाओ के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है| पंचायती राज संस्थाये तीन है- (1) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (2) ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति (3) जिला स्तर पर जिला परिषद | इन संस्थाओ का काम आर्थिक विकास करना है, सामाजिक

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओ को लागू करना है, जिसमे 11 वी अनुसूची मे उल्लिखित 29 विषय भी है| भारत मे प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व मे रही है| आधुनिक भारत मे प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले की बगधारी गाव मे 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई| पंचायतों की संख्या की स्तिथि 1 अप्रैल, 2005 के अनुसार इस प्रकार है ग्राम पंचायत 2,34,676 मध्यवर्ती पंचायत 6,097 जिला पंचायत 537 कुल पंचायत संस्था 2,41,310 | इन संस्थाओ मे महिलाओ की संख्या और उनका प्रतिशत इस प्रकार है- जिला पंचायत मे 41%, मध्यवर्ती पंचायत मे 43% और ग्राम पंचायत मे 40%| भारत मे महिलाओ का स्थान विषय पर गठित समिति ने 1974 मे अनुशंसा की थी कि ऐसे पंचायते बनाई जाए जिनमे केवल महिलाये ही हो| नैशनल पर्स्पेक्टिव प्लान फॉर द वुमन,1988 ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30% सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी| महिलाओ को प्रदत्त आरक्षण को पंचायती राज संस्थानों मे राव समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी की इसमे पहली बार महिलाओ के लिए आरक्षण व्यवस्था राखी गई| वर्तमान समाज मे नारीवादियों द्वारा आत्मनिर्णय एवं स्वशासन के लिए सामाजिक रूपांतरण की मांग प्रबल हुई है| इसकी अभिव्यक्ति भारतीय संसद मे 110 वे व 112 वे संविधान संशोधन विधेयक 2009, के रूप मे हुई जिनका संवध क्रमश: पंचायतीराज और शहरी निकायों के सभी स्तरों मे महिलाओ के लिए निर्धारित 33% सीटों को बढ़ाकर 50% करने से था| 73 वे संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान से एक नया खंड (9) और उसके अंतर्गत 16 अनुछेद जोड़े गए| अनुछेद 243(5) (3) के अंतर्गत महिलाओ की सदस्यता और अनुछेद 243(द) (4) मे उनके पदों पर आरक्षण का प्रावधान है| अनुछेद 243(घ) मे यह उपवंध है कि सभी स्तर की पंचायत मे रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा | प्रत्येक पंचायत मे प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों मे से एक-तिहाई स्थान महिलाओ के आरक्षित होगा| पंचायतों को 73 वे संविधान संशोधन के बाद कार्य करते हुए 2 दशक से अधिक का समय बीत चुका है| इस समय के दौरान पंचायतों मे कार्यरत महिलाओ का अध्ययन बताता है कि उनकी अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतिया है, जिनके कारण वह प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका नहीं निभा पाई| आरक्षण के कारण सैद्धांतिक रूप से शक्ति महिलाओ के हाथों मे आ गई है परंतु यह भी कि आज के इस आधुनिक भारत मे भी पुरुष ही सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण रखे हुए है| अज्ञानता एवं अनुभवहीनता, पुरुषों पर निर्भरता महिलाओ के लिए आरक्षण को अर्थहीन बना देती है|

शोध-पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र मे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समांकों का प्रयोग किया गया है| पंचायत मे कार्यरत महिलाओ की विभिन्न चुनौतियों का अध्ययन करने के साथ यह बताने का प्रयास किया गया है की इन संस्थाओ मे महिलाओ की भागीदारी प्रभावी बनाने की अनेक संभावनाए है| इसमे परंपरागत पंचायतों मे महिलाओ की भूमिका और वैदिकहीन पंचायतों मे महिलाओ की स्तिथि का वर्णन किया गया है| स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायतों को सुद्रड़ बनाने के लिए तथा उनमे महिलाओ की सक्रियता बढ़ाने का लेखा-जोखा देने के साथ-साथ 73 वे संविधान संशोधन से पहले विभिन्न राज्यों की पंचायतों मे महिलाओ की स्तिथि का आकलन भी इसमे किया गया है| पंचायत प्रतिनिधियों का कामकाज

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पंचायती राज संस्थाओ के भीतर और साथ ही सार्वजनिक बातचीत मे महिला पुरुषों के विषम अनुपात से प्रभावित है| राज्यों को ग्रामीण स्थानीय शासन मे महिलाओ को भी मुख्य धारा मे लाने के लिए और संशोधनों को न्यायसंगत उपयोगिता को भी प्रभावित करने बाले भेदभाव, उपेक्षा और उदासीनता के उन्मूलन द्वारा जारी पित्रसत्तामक प्रतिरोध, का समाधान करने के लिए स्वयं के संदरभो के आधार पर ध्यानपूर्वक योजना बनाने और कार्य करने की जरूरत है|

साहित्य की समीक्षा

हमारे देश की आधी आबादी महिलाओ की है, इसीलिए राजनैतिक क्षेत्र मे भी महिलाओ की संख्या लगभग आधी होनी चाहिए| इसीलिए हमे महिलाओ को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बडा लोकतंत्र है| अतीत मे महिलाओ का आदर सम्मान व सम्मान था, लेकिन समय के साथ-साथ उनके स्तर मे कमी होना आरंभ हो गया| सामाजिक व धार्मिक रीति-रिवाजों के बंधनों ने महिलाओ को ऐसे शिकंजे मे कस दिया, जिससे की वे सार्वजनिक जीवन मे भाग नहीं ले सके| मुगल व ब्रिटिश काल व उसके बाद महिलाओ की सामाजिक स्तिथि सुधारने के तो अनेक आंदोलन हुए, लेकिन ऐसे प्रयास नहीं किए गए की महिलाओ की राजनैतिक हैसियत बढ़े, जो वास्तव मे सभी समस्याओ को सुलझाने की कुंजी है| 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को नया संविधान बनकर वह गडतंत्र राज्य बना लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भी पंचायतों के विकास व उनमे महिलाओ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए गए| डॉक्टर डी पी वैश्य के अनुसार, उत्तर भारत मे वही व्यक्ति पंचायत मे चुना जा सकता था, जिसके पास कर देने योग्य यानि बेली की एक-चौथाई भूमि हो (बेली 6.35 एकड़ के बराबर होती थी) उसके पास अपना मकान हो, वह 'मात्र ब्राह्मण' जानता हो तथा उसकी शिक्षा देने योग्य हो| इन योग्यताओ के आधार पर महिलाये चुनाव के योग्य हो ही नहीं सकती थी| न उसके पास भूमि थी, न शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, आर्थिक गतिविधियों मे सलग्न होना तो बहुत दूर की बात थी| 73 वा संविधान सशोधन विधेयक 24 अप्रैल,1993 को लागू हुआ| इसमे यह प्रावधान था की राज्य केन्द्रीय अधिनियम को ध्यान मे रखकर अपने पंचायती राज अधिनियम को एक वर्ष के दौरान या तो सशोधित कर लेंगे या नया अधिनियम बना लेंगे, चूंकि ये अनिवार्य प्रावधान था, इसीलिए सभी राज्यों ने समय सीमा के दौरान अपने अधिनियमों मे तो संशोधन कर लिए, लेकिन पंचायतों के चुनाव कराने मे सभी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई| भारत मे पंचायती राज व्यवस्था बलबंत राज मेहता समिति की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई, इसमे महिलाओ के आरक्षण के बारे मे मात्र इतना कहा गया था कि अगर वे स्वयं चुनकर नहीं आती तो ऐसे 2 महिलाओ को जो महिलाओ व बच्चों के कल्याण मे रुचि रखती हो, सदस्य बनाया जा सकता है| इस समिति के 2 दशक बाद अशोक मेहता समिति ने भी इस दिशा मे कोई खास प्रयास नहीं किया| संविधान संशोधन का मसोदा पंचायतों को 9 वी अनुसूची मे रखने के लिए तैयार किया गया, लेकिन महिलाओ को आरक्षण देने का मुद्दा तब तक भी नहीं उठा| अनुछेद 243 (डी) का खंड (3) पंचायत राज संस्था मे महिलाओ की भागीदारी सुनिक्षित करता है| अब तक, भारत के 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने महिलाओ के लिए आरक्षण 50% कर दिया है- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमांचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा,

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल| अनुसूचित क्षेत्रों मे रहने बाले आदिवासी नागरिकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 मे निरदिस्त, पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम,1996 को संविधान के भाग 9 के प्रावधानों के विस्तार के लिए अधिनियम किया गया है| यह अधिनियम आदिवासी लोगों की संस्कृति और आजीविका के संरक्षण के संवध मे ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है| जी एल राय व सागर मण्डल की पुस्तक 'ग्राम पंचायत ऑर्गनाईजेशन : ईफेक्टिव मैनिज्मन्ट फॉर रुरल डेवलपमेंट' पश्चिम बंगाल मे 1968-1969 के दौरान महिलाओ की पंचायत मे स्तिथि को प्रस्तुत किया गया है| इसके अनुसार जिला परिषद की कुल 675 सीटों मे महिलाओ की संख्या 32 थी| वर्धमान, जलपाईगुड़ी व प्रेसीडेन्सी- इन तीन डिविजन मे मध्य स्तर अर्थात अंचल पंचायत मे कुल 217,050 सीटों मे से महिलाओ की संख्या 185 तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 217,050 सीटों मे से महिलाओ की संख्या 469 थी| इस प्रकार हम देखते है कि महिलाओ की जिला स्तर पर भागीदारी 4%, मध्य स्तर पर 0.18% व ग्राम पंचायत स्तर पर 0.21% थी, जिसे नगण्य कहा जाएगा|

चुनौतिया एवं समस्याए

महिला पंचायत प्रतिनिधिओ के सामने अनेक सामाजिक सीमाये एवं चुनौतिया है, जिनके कारण वे अपने कमजोर, नासमझ व अपमानित महसूस करती है| उनका घर का परिवेश, समाज का परिवेश उन्हे आज्ञा नहीं देता है कि वे खुलकर पंचायतों के कार्य कर सके| फिर अधिकतर मामलों मे हुआ कि महिला आरक्षण के लिए अमुक सीट आरक्षित है, इसीलिए पुरुष तो चुनाव के लिए उम्मीद नहीं कर सकता| आर्थिक साधनों के अभाव मे महिला पंच-सरपंच अपनी भूमिकाये कारगर तरीके से नहीं निभा पाती| महिलाओ का भूमि व संपत्ति पर अधिकार व नियंत्रण होना तथा उन विभिन्न अधिनियमों का, जो महिलाओ के खिलाफ है| कुल ग्राममें जनसंख्या का 24% भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करता है| बिहार, ओडिसा व मध्य प्रदेश मे यह % 58.21, 49.72 व 40.64 है| अनुसूचित जाति व जनजाति के मामले मे यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है| अनुसूचित जाति मे गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का % 48.11 है| बिहार 70.66%, उत्तर प्रदेश 58.99% तथा महाराष्ट्र 51.64% जैसे राज्यों के इन वर्गों मे गरीबी राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है| अनुसूचित जातो व जनजाति वर्ग मे गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का % 51.94 है| कुछ ऐसे राज्यों जैसे बिहार 69.75%, हिमांचल प्रदेश 69.94% गरीबी का स्तर राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है| इसमे आसानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन गरीब परिवारों मे गरीबी की ज्यादा मार महिलाओ पर पड़ती है| महिलाओ की राजनैतिक सीमाओ पर द्रस्टीपात किया गया है जिनमे उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया मे वांछित हिस्सेदारी न होना, राज्य पंचायती राज अधिनियम की कुछ विभिन्न कमियों, राजनैतिक हिंसा, राजनीति का अपराधीकरण व गुटबाजी आते है| महिलाओ की केन्द्रीय मंत्री परिषद मे भागीदारी 2008 मे 10.29%, 2009 मे 10.25% थी| वर्तमान मे जो पुरुष अधिकारी कार्यालयों मे कार्यरत है, उनका रबैया भी महिलाओ के प्रति सहिष्णु नहीं है| लेखक ने विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों यह कहते देखा है कि ये महिलाये कुछ नहीं जानती, इनको न लिखना आता न पड़ना, वस आरक्षण का प्रावधान कर दिया, इसीलिए ये चुनकर यह आ गई| इस तरह की मानसिकता, ऐसा अनुकूल वातावरण सरजित नहीं करती, जो महिलाओ को प्रोत्साहित करे| यह देखा गया है कि

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

महिलाये अपना काम ज्यादा ईमानदारी व समर्पित भाव से करती है| नौकरशाही, प्रशासन व न्यायपालिका सभी ढांचों मे न केवल पुरुष हावी है, बल्कि पुरुषवादी सोच हावी है|

पित्रसत्तातमक संस्कृति :- आज 21 वी सदी मे खुद को आधुनिक कहने वाले पुरुषों का रवैय्या महिलाओ के मामले मे बेहद आधुनिक है| महिला और पुरुष समाज के सदस्य है और समाज उन्हे समान द्रषटी से न देखते हुए अलग-अलग नजरिए से देखता है| पंचायती राज व्यवस्था मे महिलाओ के लिए अनेकों व्यवस्था के बाबजुद, पित्रसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था होने के कारण पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है| महिलाओ की पंचायतों मे भागीदारी को प्रतिबंधित करने बाली पित्तरसत्तात्मक प्रथाये सामाजिक प्रगति मे बाधा डाली है और लैंगिक असमानता को बढ़ाती है| महिलाओ की राजनैतिक भागीदारी पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव मे कहा गया है कि "दुनिया के हर हिस्से मे महिलाये अक्सर भेदभावपूर्ण कानूनों, प्रथाओ और लैंगिक रूणीवादिता, शिक्षा के निम्न स्तर, कमी के परिणामस्वरूप राजनीतिक क्षेत्र से बड़े पैमाने पर हाशिये पर है|" पंचायते, ग्रामीण भारत मे स्थानीय स्वशासी निकाय, महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्था है| हालांकि, इन प्रणालिओ के भीतर पित्रसत्तात्मक प्रभावों की उपसतिथि वास्तविक प्रगति मे बाधा डालती है| सरपंच पतिवाद की अवधारणा मे एक ऐसा परिद्रश्य शामिल है जिसमे पुरुष, मुख्य रूप से पति, अपनी निर्वाचित पत्नियों को मुखिया के रूप मे उपयोग करके पंचायतों पर नियंत्रण रखते है| इस गतिशील परिणाम के रूप मे महिलाओ के पास कागज पर नाममात्र की शक्ति है है, जबकि निर्णय लेने का वास्तविक अधिकार और क्षमता उनके पतियों के पास होती है| इन अनिर्वाचित पुरुषों का अपनी निर्वाचित पत्नियों की ओर से निर्णय लेने की शक्ति का उपयोग करना भारतीय लोकतंत्र और शासन संरचना के लिए एक गहरा झटका है|

हिंसक विरोध :- पंचायती राज संस्थाओ मे ग्रामीण महिलाये यदि आगे बढ़ने का साहसिक कदम बढ़ाती है तो सामाजिक तौर पर उनकी आलोचना समाज व परिवार के द्वारा की जाती है और समाज के प्रतिरोध का उन्हे सामना करना पड़ता है| उन्हे समाज मे जो शक्तिशाली चेहरे होते है उनकी हिंसा का शिकार होना पड़ता है क्यूकी, भारत एक ऐसा देश है जहां पित्रसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है जिसके कारण महिलाओ को हमेशा पुरुषों से हीन करना है| अनेकों मामलों मे मौखिक शाब्दिक प्रताड़ना थोड़े समय के बाद शारीरिक प्रताड़ना मे बदल जाती है तथा उन्हे समाज मे आगे बढ़ाने की बजाय पीछे की ओर धकेलेने का प्रयास किया जाता है| पंचायती राज मे अपने महत्वपूर्ण पद का प्रयोग करते हुए झाबुआ जिले की सरपंच मानकीबाई, धार जिले की पडोनीया पंचायत की सरपंच लीलाबाई, श्योपुर के गोथरा पंचायत की सरपंच राजोबाई, तथा मंदसोर जिले के रनायर ग्राम पंचायत की सरपंच जसोदा बाई जैसी महिलाओ ने सत्ता मे अपना वजूद बनाने की कोशिस की तो वहाँ इन्हे कई तरह की प्रताड़ना झेलकर नेत्रत्व की कीमत चुकानी पड़ी, खासकर दलित आदिवासी महिलाओ को|

दो बच्चों की नीति :- पंचायती राज अधिनियम मे प्रावधान है कि जिस व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान है, वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा| ग्रामीण क्षेत्रों मे महिलाओ को परिवार मे बच्चों की संख्या के बारे मे कोई अधिकार नहीं है और ऐसे कानून पंचायतों मे महिलाओ को प्रतिबंधित करते है| उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश मे स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी का नियम 2001 तक लागू किया गया था| ये नियम 2005 तक लागू रहा|

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

जाति व्यवस्था :- भारतीय सामाजिक संस्थाये जाति संरचना पर बहुत अधिक निर्भर करती है| "जाति' शब्द ने गलतफहमी पैदा की है क्योंकि इसका उपयोग वर्ण और जाति दोनों के लिए किया जाता है| जाति ने बदलती परिस्थिति के लिए बहुत से नई विशेषताओ को अपनाया है, जिसमे आधिकारिक संरचना, एक नरम कठोरता और राजनीति से जुड़ाव शामिल है| निचली जातियों की कई गतिविधियों मे शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाता है| जाती व्यवस्था का परंपरागत रूप से लोगों की सत्ता तक पहुच पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है| विशेषाधिकार प्राप्त उच्च जाती समूह काफी अधिक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अधिक लाभान्वित होते है, जबकि निचली जाति समूह की उन शक्तियों तक सीमित पहुच होती है| उच्च जातिया जो गाँव, समुदाय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मामलों को नियंत्रित करती है, विकेंद्रीक्रत लोकतान्त्रिक संस्थाओ द्वारा लाए जा रहे परिवर्तनों को बर्दास्त नहीं कर सकती है| इसीलिए, पंचायत व्यवस्था के कार्यान्वयन की शुरुवात से ही परिवर्तन का विरोध करने के लिए तनाव, हिंसा और हत्या होती रहती है| स्थानीय सरकारी निकायों के चुनाव जातिवादी समूहों द्वारा हमले का पहला और प्रमुख बिन्दु रहे है| नई व्यवस्था के तहत पहले चुनाव से ही, निचली जातियों के लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मे भाग लेने और पद संभालने के अधिकारों पर ऊंची जातियों द्वारा सवाल उठाए गए| ग्रामीण भारत मे पदानुक्रमित जाति व्यवस्था एससी और एसटी समुदाये की महिलाओ के लिए स्वतंत्र और प्रभाबी ढंग से काम करना मुश्किल बना देती है|

सुझाव :- पंचायती राज संस्थाओ मे महिलाओ के लिए आरक्षण व्यवस्था तथा अनेकों प्रयासों के बाद भी आधुनिक भारत मे भी अनेकों चुनोतियो एवं समस्याओ का सामना करना पड रहा है| पंचायती राज संस्थाओ मे महिलाओ की भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हे आगे बढ़ाने के लिए निम्न प्रयासों का किया जाना आवश्यक है- (1) ग्रामीण भारत मे साक्षर और निरक्षर महिलाओ के मध्य संवाद को बढ़ावा दिया जाए| (2) महिलाओ के प्रति पुरुषों एवं स्वयं महिलाओ की धारणा मे बदलाव लाना जरूरी है| (3) परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं महिलाओ को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है क्युकी महिलाओ के सशक्तिकरण की सर्वप्रथम शुरुवात परिवार से ही होती है| (4) देश के विभिन्न क्षेत्रों मे अनेक महिला सदस्यों ने पंचायती राज संस्थाओ मे सक्रिय भूमिका निभाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दिया| इस तरह की महिलाओ के सराहनीय नेत्रत्व का प्रचार किया जाए और उन्हे सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए, इससे महिलाओ को प्रेरणा मिलेगी| (5) मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों मे बदलाव लाने मे अपनी भूमिका निभा सकती है, उसके द्वारा जेन्डर समानता की खबरों से समाज मे जागरूकता ला सकता है| अनेकों तरीकों के माध्यम से महिलाओ की पंचायती राज संस्थाओ मे सक्रियता को बढ़ाया जा सकता है|

संदर्भ ग्रंथ सूची

मुखर्जी, डा० राधा कुमुद "अवर अरलिएस्ट कन्सेप्शन ऑफ डेमोक्रसी इन हिंदुस्तान"
घोष, रत्ना, आलोक कुमार "पंचायत सिस्टम इन इंडिया", कनिष्क पुब्लिशर्स, न्यू दिल्ली,1999
पँवार, मीनाक्षी, "पंचायत राज और ग्रामीण विकास" क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली|
गांधी, महात्मा, "ग्राम स्वराज", नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1963
शर्मा, रवींद्र, "ग्रामीण स्थानीय स्वशासन", प्रिंटवेल पुब्लिशर्स, जयपुर 1985
लॉर्ड, ब्राइस, "मोरडर्न डेमोक्रसी" मेकमिलन, न्यूयॉर्क,1921

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

नारायण, जय प्रकाश, "सामुदायिक समाज, रूप और चिंतन", राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर, 1966
कटारिया, डा० सुरेन्द्र, "ग्रामीण विकास एवं पंचायती, आर वी एम पुब्लिशर्स, जयपुर, 2003
कर्णावत, शशि, "पंचायती राज व्यवस्थाये रोजगार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009
कुमार, रूप नरेंद्र मनोज, " दलित लीडरशिप इन पंचायती राज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2011
योजना, पत्रिका के बिभिन्न अंक, (योजना आयोग, नई दिल्ली)
पंचायत अपडेट, पत्रिका के विभिन्न अंक, (इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंस, नई दिल्ली)
जाग्रति, महिला एंड बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
एकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, मुंबई
नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
दैनिक जागरण समाचार पत्र, उत्तर प्रदेश
अमर उजाला
भारत का संबिधान
दैनिक भास्कर

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies